न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 77 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र भागीरथराम गोद पुत्र माणकलाल निवासी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 गोविन्दलाल पुत्र मेघराम जाति सुनार निवासी खींवसर हाल हीरावाडी नागौर तहसील व जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत खींवसर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत खींवसर पोस्ट ऑफिस खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2 श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3 श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 17.10.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या 03 / 1974–75, संकल्प संख्या 01 दिनांक 15.08.1974 द्वारा पटटा संख्या 33 दिनांक 30.08.1976 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.08.2019 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 13.09.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत खींवसर का पटटा संख्या 33 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 03 की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल जज (व.ख.) नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, पट्टा पत्रावली 03 / 1974–75 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने पट्टा संख्या 03 व 19 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा जारी रसीद की फोटोप्रति, थाना अधिकारी पुलिस थाना खींवसर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नागौर के प्रकरण संख्या 01 / 16 गोविंद लाल बनाम भंवरलाल मे पारित आदेश दिनांक 30.04.16 की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के प्रकरण संख्या 03 / 16 के फर्द अहकाम दिनांक 06.01.16 से 18.01.16 तक की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल जज (व.ख.) में प्रस्तुत जवाब दावा की फोटोप्रति, गोविन्द लाल के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पटटा संख्या 33 दिनांक 30.08.1976 पूर्ण रूप से विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)–पटटा संख्या 33 जेर निगरानी बाबत अप्रार्थी संख्या 1 का आवेदन पत्र दिनांक 04.06.1974 का होना पंचायत रिकार्ड से प्रकट है इस आवेदन पत्र को दर्ज करने की रसीद संख्या 11 दिनांक 04.06.1974 का भी इसी आवेदन पत्र के एक कोने पर इन्द्राज दर्ज है। इस पटटे की कीमत की राशि भी रसीद संख्या 11 दिनांक 30.08.76 पटटे मे दर्ज है। इससे प्रकट है कि पूर्ण रूप से फर्जी रसीद का उल्लेख करके फर्जी पटटा संख्या 33 पंचायत खींवसर के नाम का जारी किया गया है। इससे यह भी प्रकट है कि इस पटटे की कोई राशि पंचायत में जमा ही नहीं हुई हैं, ऐसी दशा मे पटटा जेर निगरानी पूर्ण रूप से बिना प्रतिफल के फर्जी रूप से जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

17/10/25
अपर कलक्टर, नागौर

2(3)– पटटा संख्या 33 जेर निगरानी के लिए आवेदन पत्र दिनांक 04.06.1974 को पेश होना प्रकट हैं, जबकि इस भूमि के बाबत पटटा जारी करने का संकल्प संख्या 1 दिनांक 15.01.1973 या 15.08.1973 का उल्लेख पत्रावली में है जबकि पटटे में संकल्प संख्या 01 दिनांक 15.08.1974 का उल्लेख दर्ज है। ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी पंचायत के संकल्प (प्रस्ताव) के बिना बनाया होने से विधि विरूद्व व एक रद्दी कागज की श्रेणी में आता है जो काबिल निरस्त किये जाने के होने से अपास्त होने योग्य है।

2(4)– पटटा जेर निगरानी का भूमि निरीक्षण का पत्रावली की आदेशिका में दिनांक 04.06.1974 के बाद व 30.06.1974 से पहले की आदेशिका में दिया गया है। जबकि भूमि निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 30.10.1973 को बनाया हुआ पत्रावली मे संलग्न है। उक्त निरीक्षण प्रपत्र किसके आदेश से व पटटा आवेदन से पहले कैसे व क्यों बिनाया गया। यह तथ्य इस बात को प्रकट करता है कि किसी अन्य पटटा पत्रावली मे से निकालकर इस पत्रावली के साथ लगाकर फर्जी पटटा जारी किया गया है। इस निरीक्षण प्रपत्र में भूमि के पडोस का कोई उल्लेख नहीं है तथा 15000 वर्गफुट क्षेत्रफल दर्ज था, उसको काट छांट करके 6045 वर्गफुट किया गया हैं, जिस काट छांट पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इससे भी प्रकट है कि यह निरीक्षण प्रपत्र पटटा संख्या 33 से संबंधित नहीं हैं, पूर्ण रूप से फर्जीवाडा करके फर्जी पटटा बनाया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)–पटटा संख्या 33 की पत्रावली संख्या 3/1974–75 के लगा हुआ आम जनता से आपतियां आहूत करने का नोटिस दिनांक 30.08.1973 हैं, जबकि इस तारीख को प्रार्थी का पटटा बनाने की अर्जी का अस्तित्व भी नहीं था, अर्जी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 04.06.1974 को पेश की गई थी, ऐसी दशा में यह पूर्ण रूप से फर्जी नोटिस किसी अन्य पत्रावली से हटाकर इसके साथ लगाया गया है या फर्जी पत्रावली का गठन किया गया है। यह आम आपतियां आहूत करने का नोटिस विधि अनुसार नहीं होने से यह विधिक त्रुटि हैं, इसके अभाव में पटटा जेर निगरानी की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व होने से पटटा जेर निगरानी अपास्त होने येाग्य है।

2(6)–पटटा जेर निगरानी की पत्रावली मे दो मौतबिरान के हस्ताक्षर एक प्रिन्टेड फॉम पर करवाकर एक पर दोनो के हस्ताक्षर कराये गये हैं, जो वास्तव मे बयानों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि करने वाले कथनो की भाषा एक नहीं हो सकती, ऐसी दशा मे ये बयान भी पूर्ण रूप से विधि विरूद्व है तथा इस फार्म में जमीन का भाव 1 पैसा प्रतिगज लिखा गया हैं, ऐसी दशा मे पटटा जेर निगरानी कोई भी विधि अनुसार कार्यवाही नहीं कर फर्जी पटटा बनाया गया होने से अपास्त होने योग्य है।

2(7)–पटटा जेर निगरानी स्वयं मे भारी काट छांट की हुई हैं, जो पटटा की पुस्त पर नक्शा भूमि उतर दक्षिण लम्बी होने का नक्शा बना हुआ हैं, उसको काटकर पूर्व पश्चिम नक्शा बनाया गया है तथा पटटा की भूमि के उतर मे धुलजी सुनार का मकान, दक्षिण में कोई दर्ज था, उसे साफ करके बाद में अन्य स्याही से उतर में पडोस धूलजी सुनार को काटकर माणकजी नाई की जायगा आदि उल्लेख किया है तथा अन्य स्याही से ही दक्षिण का पडोस धुलाराम भागीरथराम सुनार का दर्ज कर कूटरचना की हुई हैं, क्योंकि इन इन्द्राजात काट छांट कर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। साथ ही पटटा जेर निगरानी का क्षेत्रफल भी 75 गुणा 200 कुल 15000 वर्गफुट था, इसी क्षेत्रफल का नक्शा था, क्षेत्रफल काट छांटकर 6045 वर्गफुट बनाया गया हैं, यह भी भिन्न स्याही से किया हुआ हैं, नक्शा भी भिन्न स्याही से बनाया हुआ हैं, इन दोनों परिवर्तन पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कटिंग पर नहीं हैं, ऐसी दशा मे पटटा जेर निगरानी पूर्ण रूप से कूटरचित पटटा बनाया गया है, जो अपास्त होने योग्य है।

2(8)–पटटा जेर निगरानी जिस स्थान पर बताया जा रहा हैं, वहा पर मौके पर कोई भूमि पटटा के माफिक हैं ही नहीं। धुलाराम भागीरथ की जो जायगा दक्षिण मे बताई जा रही हैं, वह जसराज सुनार का खण्डहर के नाम से जाना जाता है, उसके पडोस मे उतर की तरफ माणक जी नाई की पटटासुदा जायगा हैं, माणकजी नाई के पटटे के दक्षिण मे जसजी की जायगा ढूंढा दर्ज है तथा माणकजी नाई का पटटा वादग्रस्त पटटा से पहले का बना हुआ है, ऐसी दशा मे पटटे की भूमि पर पटटा देने का पंचायत को कोई अधिकार नहीं हैं। जिस समय अप्रार्थी संख्या 01 को पटटा जारी किया था, उस समय वह नाबालिग था तथा ग्राम पंचायत को नाबालिग को पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है, ऐसी दशा में पटटा जेर निगरानी विधि विरूद्व व कूटरचित होने से अपास्त होने योग्य है।

2(9)–प्रार्थी ने बताया कि माणकजी नाई गोद पिता लगते हैं, उक्त भूमि में मेरा हक व अधिकार हैं, माणकजी का देहान्त हो चुका हैं, उनका में गोद पुत्र होने से उतराधिकारी हूं ऐसी दशा मे हमारी पटटासुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने मिलावट करके कूटरचित पटटा बिना हक व अधिकार के बनावाया हैं, इससे मैं व्यथित पक्षकार हूं। ऐसी दशा में मैं यह निगरानी पेश करने का हकदार होने से पेश की है।

17/10/15

अपर कलक्टर, नागौर

2(10)–पटटा सन 1974 का है, इस पटटे को लेकर कभी भी अप्रार्थी न तो विवाद करने खींवसर आया, न ही उसका कभी कब्जा रहा, गत वर्ष इसने हक लगाने का प्रयास किया व विवाद करने पर उतारू हुआ, इससे पहले कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त जायगा का पटटा होने बाबत कोई कथन नहीं किया, न ही पटटा होना जाहिर किया। ऐसी दशा मे पटटा की जानकारी होने पर नकले ली व 4–5 के भीतर ही यह निगरानी पेश कर दी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने न तो वादग्रस्त भूमि बाबत कभी विवाद किया, न ही अपना हक जताया, न ही पटटा होना उजागर किया, ऐसी दशा मे पटटे को निरस्त करने की निगरानी जानकारी से 4–5 माह के भीतर पेश की है, जो युक्तियुक्त वाजिब कारण है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 23(2) पेज 1328 से 1331, आरआरटी 2001 पेज 450 से 452, आरआरटी 2004(2) पेज 921 से 924 नजीरे पेश की।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पटटे व वादग्रस्त भूमि पर उसके कब्जे की जानकारी शुरू से ही थी। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त पटटे के आधार पर उसने वादग्रस्त भूमि पर हक लगाना शुरू किया हो। अप्रार्थी संख्या 1 ने तो उक्त पटटे के आधार पर दिनांक 06.01.2016 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा हक व निषेधाज्ञा का वाद संख्या 03/16 सिविल न्यायाधीश नागौर मे प्रार्थी व अन्य के विरूद्व पेश किया था और उक्त वाद मे दिनांक 04.04.16 को प्रार्थी ने जवाब पेश कर दिया था। उक्त जवाब में वादग्रस्त भूमि के नाप चोप व पटटे का उल्लेख है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन निगरानी पेश करने के 4–5 माह पहले ही इस पटटे की जानकारी हुई हो, गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में ग्राम पंचायत खींवसर ने सन् 1974 मे पटटा बना दिया था व मौके पर अप्रार्थी का कब्जा था। इसलिए उक्त पटटे को 45 वर्ष पश्चात चुनौती देने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर पेश की है, जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त जायगा अप्रार्थी संख्या 01 की पुश्तैनी जायगा है, पुश्तैनी जायगा का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है चाहे पट्टाधारी नाबालिग ही क्यों ना हो। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के यह कही पर भी अंकन नहीं है कि नाबालिग को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हो। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्णतः पालना की है। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लू 2013(1) पेज 164 से 169, आरआरटी 2002(1) पेज 434 से 436, आरआरटी 2022(2) पेज 1287 से 1289 तक नजीरे पेश की।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या 03/1974–75, संकल्प संख्या 01 दिनांक 15.08.1974 द्वारा पटटा संख्या 33 दिनांक 30.08.1976, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त विवादित जायगा पर पहले से ही ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पट्टा संख्या 03 दिनांक 22.07.56 को माणकराम के नाम से जारी हो रखा है तत्पश्चात ग्राम पचांयत द्वारा पुनः उसी जायगा पर अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पट्टा संख्या 33 दिनांक 30.08.76, को जारी कर दिया। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पट्टा संख्या 03 दिनांक 22.07.1956 एवं पट्टा संख्या 33 दिनांक 30.08.1976 का पडौस पूर्ण रूप से समान नहीं है। निगरानीकर्ता ने ऐसे कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये जिससे साबित होता हो कि पट्टा संख्या 03 की जायगा पर ही पट्टा संख्या 33 जारी किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता ने उक्त निगरानी पट्टा जारी होने के 43 वर्ष पश्चात पेश की है, जिसमें देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है। ग्राम पचांयत द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 33 दिनांक 30.08.1976 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियम 266 की पालना करते हुए रसीद संख्या 11 द्वारा 60 रूपये 45 पैसे जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमों की पालना करते हुए विधिनुसार जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/10/22

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर